सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **752** राँची, शुक्रवार

24 आश्विन, 1937 (श०)

16 अक्टूबर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

5 अक्टूबर, 2015

संख्या-7/न0वि0/**अधि**0/**ससो**0/102/2013-3671--**झारखंड नगरपालिका अधिनियम-**2011 **की धारा-**434 (1) **के अनुसार भवन उपविधि राज्य सरकार के स्तर पर बनाए जाने का प्रावधान है ।**

2. **उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों/प्राधिकारों के निमित्त समेकित रूप से एक भवन उपविधि का प्रारूप तैयार कराया गया है जिसकी समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-**

1	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय	अध्यक्ष
2	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार	सदस्य
4	अधीक्षणअभियंता, तकनीकी कोषांग	सदस्य
5	Town and Country Planning, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नामित सदस्य	सदस्य
6	स्कूल ऑफ़ प्लानिंग आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के अर्बन प्लानिंग विभाग के नामित सदस्य	सदस्य
7	आई0आई0टी0, खड़गपुर के अर्बन एण्ड रिजनल प्लानिंग के नामित सदस्य	सदस्य
8	वास्तुकला एवं अर्बन प्लानिंग विभाग, बी0आई0टी0 मेसरा के नामित सदस्य	सदस्य
9	नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य सचिव

3. उपर्युक्त विशेषज्ञ समिति तैयार किए गए भवन उपविधि प्रारूप की समीक्षा करेगी। प्रचलित भवन उपविधि के प्रावधानों के आलोक में एक तुलनात्मक विवरणी भी तैयार करेगी। विशेषज्ञ समिति भवन उपविधि में उन प्रावधानों का भी समावेश कराएगी, जो शहरीकरण के गति को बढ़ावा दे सके तथा अमृत योजना, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में सहायक सिद्ध हो।

4. समिति अनुशंसा के साथ अंतिम प्रतिवेदन सरकार को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराएगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 752—50 ।